अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा निगम कार्य मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति ओर योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां और लेखे को कम्पनी नियमावली 2014 में अधिसूचित किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। अन्य बातों के साथ साथ आवश्यकता निम्नलिखित प्रदान करती हैः-

- व्यवसायिक आचरण (धारा 149 (8) और उसकी अनुसूची IV) के लिए कर्त्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कतिपय समितियों जैसे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)}. जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। {धारा 173(1)}.

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ, सेबी ने सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पुराने प्रावधानो को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (2 सितम्बर 2015) को 1 दिस्म्बर 2015 से प्रभावी किया ।

सेबी ने (अक्तूबर 2015) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकिकृत सूचीबद्ध करार को जारी किया जिसके द्वारा सभी सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानो का पालन करना आवश्यक है।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्‍यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर कार्यालयी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर मई, 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्‍वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जेसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशानिंदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया

है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसईज़ का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों/विनियमन के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.4 चयनित सीपीएसईज़ द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2016 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 607 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) थे। सीपीएसईज़ को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज़ से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी। निर्धारण रूपरेखा में बोर्ड के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तें निहित हैं और समीक्षा में निर्धारण रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों[20] में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन को कवर किया गया है। समीक्षा में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 48 सूचीबद्ध सीपीएसईज़ कवर की गई है। सीपीएसईज़ की सूची ***परिशिष्ट-V*** में दी गई है।

3.2 निदेशक मण्डल का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-कार्रकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये।

[20] गेल (इंडिया) लिमिटेड के अतिरिक्त

तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे।

तालिका 3.1: सीपीएसईज़ में गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या

क्रम. सं.	पीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	6	2	33
2	बॉमेर लारी एंण्ड कम्पनी लिमिटेड	7	2	28
3	बीईएमएल लिमिटेड	10	4	40
4	भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	12	5	42
5	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	3	38
6	इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	5	42
7	आईटीआई लिमिटेड	7	3	43
8	एनबीसीसी (इण्डिया) लिमिटेड	6	2	33
9	एनटीपीसी लिमिटेड	11	5	45
10	ऑयल एंड नेच्यूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	5	42
11	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	6	1	17
12	पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	3	43
13	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	3	43
14	राष्टीय कैमिकल्स एण्ड फ्रटिलाइजर्स लिमिटेड	7	3	43
15	दा शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	8	3	38
16	दा स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	7	2	28

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हो, शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ए) (2), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.14 के अनुसार जहॉं बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहॉं कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी) (1) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामिति निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक बोर्ड के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नही थीः

तालिका 3.2: सीपीएसईज़ जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
1	बीईएमएल लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
2	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	4
3	भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	गैर-कार्यकारी	4	1
6	कोल इण्डिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
7	कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
8	ड्रेडिंग कॉरर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
9	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
10	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	5	कार्यकारी	3	2
11	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
12	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	1
13	हिन्दुस्तान फोटो फील्मस् एमएफजी कॉ.लिमिटेड	4	कार्यकारी	2	1
14	इंडिया टूरिज़्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
15	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
16	आईटीआई लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
17	केआईओसीएल लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
18	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	7	गैर-कार्यकारी	3	2
19	एमएमटीसी लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	4
20	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	5
21	नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
22	नेवेली लिग्नाइट कॉरर्पोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
23	एनएचपीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
24	एनएमडीसी लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
25	एनटीपीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	3
26	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
27	पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
28	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
29	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
30	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	3

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
31	द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	1
32	एसजेवीएनएल लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
33	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	15	कार्यकारी	8	6

तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसईज़ के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसईज जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड
2	बॉमर लारी एडं कं.लिमिटेड
3	बॉमर लारी इन्वेसटमेंट लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फ्लूरों कार्बन्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
7	एचएमटी लिमिटेड
8	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
10	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
11	ऑयल इण्डिया लिमिटेड
12	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
13	दा स्टेट ट्रेडिंग कारपरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक को नियुक्त करनी चाहिए।

तालिका 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसईस में, निदेशक बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.4: सीपीएसईज़ जहां कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल लिमिटेड

3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	चैन्ने पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
7	एचएमटी लिमिटेड
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
10	एमएमटीसी लिमिटेड
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
12	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड
14	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
15	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
16	दा स्टेट ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
17	फर्टिलाइजरस एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

3.3 स्वतन्त्र निदेशको की नियुक्ति एवं कार्यपद्धति

3.3.1 सूचीबद्ध करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) में प्रावधान किया गया है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में दर्शाई गई सीपीएसई द्वारा कोई भी नियुक्तिपत्र, जो शर्तो एवं निबंधन का विवरण दे, जारी नहीं किया गया।

तालिका 3.5 सीपीएसई जहाँ कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्म्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड
2	इन्जीनियरस इण्डिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
4	इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
7	एसजेवीएन लिमिटेड

3.3.2 निदेशको की संख्या

सूचीबद्ध करार के खंड 49 II ब(2)(अ) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(1) में आवश्यक है कि कोई भी स्वतन्त्र निदेशक अधिक से अधिक सात सूचीबद्ध कंपनियों में ही स्वतन्त्र निदेशक बन सकता है। प्रावधान के विपरीत यह पाया गया कि वर्ष के दौरान, ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड के एक स्वतन्त्र निदेशक आठ कंपनियों में इनके स्वतन्त्र निदेशक थे।

3.3.3 आचार संहिता

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (5)बी) के अनुसार प्रत्येक कम्पनी अपनी आचार संहिता मे स्वतन्त्र निदेशको के कर्तव्यो को कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार उपयुक्त रूप से निगमित करेगी। तालिका 3.6 उन सीपीएसईज को इंगित करती है जहां आचार संहिता स्वतन्त्र निदेशको के कर्तव्यो को निगमित नहीं करती है।

तालिका 3.6 सीपीएसईज, जहां आचार संहिता में स्वतन्त्र निदेशक के कर्तव्यों को निगमित नहीं किया गया।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	दा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस एमएफजी कॉ. लिमिटेड
5	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजरस लिमिटेड
6	दा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

3.3.4 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.4.1 सूचीगत करार के खण्ड 49(11) (बी) (7) (ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (7) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी विभिन्न कार्यक्रयों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को

उनकी भूमिकाएं, अधिकार, कंपनी में उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है, कंपनी के व्यापार मॉडल इत्यादि के विषय में परिचित करायेगी।

तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.7 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशको के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो 2015-16 के दौरान बोर्ड में थे।

तालिका 3.7: सीपीएसईज जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. क. लिमिटेड
2	इंडिया टूरिजम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.3.4.2 इसके अतिरिक्त सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 46(2) (i) और अनुसूची V(सी) (2)(जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उदघोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.8 में सूचीबद्ध सीपीएसईज की वार्षिक रिपोर्ट में उसका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.8: सीपीएसईज जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड
2	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
3	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.3.5 निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए जिनके वह सदस्य है। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.9 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती हैः

तालिका 3.9: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	-	1
2	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	1
3	आईटीआई लिमिटेड	4	-
4	केआईओसीएल लिमिटेड	-	2
5	एमओआईएल लिमिटेड	4	
6	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1	2
7	एनडीएमसी लिमिटेड	4	1
8	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3	-
9	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	-
10	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	-

3.3.6 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(5) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेना चाहिए। भारत इम्यूनोलोजिकल और बायोलोजिकल्स लिमिटेड के संबंध में तीन स्वतंत्र निदेशकों और एमओआईएल लिमिटेड के संबंध में एक स्वतंत्र निदेशक ने वर्ष के दौरान इन कम्पनियों द्वारा आयोजित की गई सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

3.3.7 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.7.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(1), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(3) और सूचीगत करार के खंड 49(II)(बी)(6) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम से कम वर्ष में एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना मिलना चाहिए। तालिका 3.10 सीपीएसईज दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसईज जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत इम्पूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
2.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
3.	एनटीपीसी लिमिटेड

3.3.7.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे।

तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.11: सीपीएसईज जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया गया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एनएमडीसी लिमिटेड
2.	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड
3.	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

द फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड में, यद्यपि, पृथक बैठक आयोजित की गई थी अपितु बैठक का कार्यवृत तैयार नहीं किया गया था।

3.3.7.3 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के नियमन 25(4) तथा सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (बी)(6)(बी) में अपेक्षित है कि पृथक बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को (क) गैर स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन (ख) अध्यक्ष के निष्पादन (ग) प्रबन्धन और निदेशक बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह के निर्धारण की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.12 में दी गई सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित की गई थी परन्तु ऐसी बैठको मे उपरोक्त मामलों की समीक्षा नहीं की गई थी:

तालिका 3.12: सीपीएसईज जहां अपेक्षित मामलों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड
3	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
4	आईटीआई लिमिटेड
5	एमएमटीसी लिमिटेड
6	एनएमडीसी लिमिटेड
7	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
8	एसजेवीएन लिमिटेड
9	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

इसके अलावा न तो अधिनियम में न विनियमों में यह प्रावधान किया गया था कि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा ऐसा मूल्यांकन किसे प्रेषित किया जाना था।

3.3.8 स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(10), सूचीगत करार के खण्ड 49(11)(बी)(5) और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VIII) में अनुबद्ध है कि निदेशक बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि विस्तारित या जारी की जाए। तालिका 3.13 उन सीपीएसईज को दर्शाती है जहां ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

तालिका 3.13: सीपीएसईज जहां बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की मूल्यांकन नहीं किया

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3	चैन्नई टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड
4	इंडिया टूरिज्म डवलप्मेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	केआईओसीएल लिमिटेड
7	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

8	एमएमटीसी लिमिटेड
9	नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड
10	एनएचपीसी लिमिटेड
11	एनएमडीसी लिमिटड
12	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
15	एसजेवीएन लिमिटेड
16	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीपीएसईज के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति या नियुक्ति की अवधि का विस्तारण/निरंतरता निदेशक बोर्ड के अधिदेश में नहीं है। तथापि, न तो अधिनियम न विनियमों में यह प्रावधान है कि सीपीएसईज के निदेशक बोर्ड द्वारा भेजे गए ऐसे निष्पादन मूल्यांकन को किसे भेजा जाना था।

3.4 निदेशक बोर्ड की बैठक का नोटिस

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) में वर्णित है कि निदेशक बोर्ड की बैठकों के लिए नोटिस ऐसी बैठकों से कम से कम सात दिन पहले परिपत्रित किया जाएगा। तालिका 3.14 उन सीपीएसईज को दर्शाती है जहां ऐसी बैठकों से कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस परिपत्रित नहीं किया गया था।

तालिका 3.14: निदेशक बोर्ड की बैठक के लिये कम से कम 7 दिन पहले नोटिस परिपत्रित नहीं किया गया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	केआईओसीएल लिमिटेड
3	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
5	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड
6	एनएमडीसी लिमिटेड
7	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
8	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.5 निदेशकों के पदों की भर्ती- कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 25(6) और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(11)(डी)(4) में अनुबंध किया जाता है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.15 में वर्णित सीपीएसईज ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद काफी समय तक खाली पड़े रहे:

तालिका 3.15: सीपीएसईज जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	महीने में चूक
1	बीईएमएल लिमिटेड	28
2	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	34
3	कोल इंडिया लिमिटेड	12
4	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	16
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	6
6	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड	36
7	हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड	10
8	इंडिया टूरिजम डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	27
9	आईटीआई लिमिटेड	10
10	केआईओसीएल लिमिटेड	20
11	एमएमटीसी लिमिटेड	24
12	नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड	13
13	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	15
14	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	12 महीने से अधिक
15	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7
16	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	17
17	द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	18
18	एसजेवीएन लिमिटेड	12

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि तालिका 3.16 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में कार्याकारी निदेशकों की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थीः

तालिका 3.16: सीपीएसईज जहां कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	महीने में चूक
1	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	8
2	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (ऑपरेशन्स) निदेशक (वित्त)	23 74
3	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	10
4	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक	12
5	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	8
6	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (विपणन) निदेशक (आरएडंडी)	9 21
7	आईटीआई लिमिटेड	अध्यक्ष एवं एमडी निदेशक (वित्त)	10 26
8	एसजेवीएन लिमिटेड	निदेशक (सिविल)	7
9	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	8

3.6 लेखापरीक्षा समिति

3.6.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

3.6.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 में अनुबंधित है कि न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

तथापि तालिका 3.17 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.17: सीपीएसईज जहां कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड

3	द शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
4	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
5	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

तालिका 3.18 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.18: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समितियों के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
3	चैन्ने पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
4	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	ऑयल इंडिया लिमिटेड
7	बामेर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
9	बामेर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
10	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
11	हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड
12	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
13	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, के संबंध में लेखापरीक्षा समिति में केवल दो सदस्य थे।

3.6.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

3.6.2.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (ए)(3) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(डी) में अनुबंधित है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, यह पाया गया कि द फर्टिलाइजर और केमिकल्स ट्रांवनकोर लिमिटेड के संबंध में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक होने के बावजूद लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

3.6.2.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए)(4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(डी) में अनुबंधित है कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगें। तथापि, तालिका 3.19 में सूचीबद्ध सीपीएसईज की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2015-16 के दौरान आयोजित एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.19:सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्यूनोलोजिकल एंड बायोलोजिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
3	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै.क. लिमिटेड
8	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
9	आईटीआई लिमिटेड
10	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
11	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

3.6.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

3.6.3.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 (2)(ए) और (बी) तथा सूचीबद्ध करार का खंड 49 (III)(बी) प्रावधान करते है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा 120 दिनों से अधिक का समय दो बैठकों के बीच नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा समिति में कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या दो सदस्य या एक तिहाई, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए, परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थिति होने चाहिए।

तालिका 3.20 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम चार बैठकें वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.20: सीपीएसईज जहां बैठकों की न्यूनतम संख्या नहीं आयोजित की गई थी

क्रम.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की सं.
1.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1
2.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	1
3.	आईटीआई लिमिटेड	3

इसके अतिरिक्त, तालिका 3.21 में सीपीएसईज के संबंध में, वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति बैठकों में अपर्याप्त निर्दिष्ट संख्या के दृष्टांत देखे गए थे:

तालिका 3.21: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त निर्दिष्ट संख्या

क्रम. सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
2	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	एनटीपीसी लिमिटेड
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड
6	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
8	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, तालिका 3.22 में दी गई सीपीएसईज के संबंध में, दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल था।

तालिका 3.22: सीपीएसईज जहां दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच समय अंतराल 120 दिनों से अधिक था

क्रम. सं.	सीपीएसईज का नाम	
1	बीईएमएल लिमिटेड	दो बैठकों के बीच 152 दिन
2	आईटीआई लिमिटेड	दो बैठकों के बीच 183 दिन
3	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	केवल एक बैठक आयोजित की गई
4	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	केवल एक बैठक आयोजित की गई

3.6.3.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1) (एफ) तथा तथ्य सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(ए)(5) प्रावधान करते है कि लेखापरीक्षा समिति ऐसे कार्यकारियों (तथा विशेष रूप से वित्त कार्य के अध्यक्ष) को आमंत्रित कर सकती है, जैसा वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपयुक्त समझें। लेखापरीक्षा समिति की बैठक कंपनी के किसी कार्यकारी की उपस्थिति के बिना भी हो सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षा

का एक प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितगण के रूप में उपस्थिति हो सकते है। तालिका 3.23 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में, हालांकि वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था, परन्तु वे कुछ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.23: सीपीएसईज जहां वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम	आमंत्रित परन्तु उपस्थित नहीं	बैठकों की संख्या जिनमें अनुपस्थित थे
1	ऑयल इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त), अध्यक्ष (आंतरिक लेखापरीक्षा) सांविधिक लेखापरीक्षक	1 4 2
2	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक	3
3	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक	1
4	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष (आंतरिक लेखापरीक्षा) सांविधिक लेखापरीक्षक	1 1

3.6.4 लेखापरीक्षा समिति का सचिव

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(ई) प्रावधान करता है कि कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बॉयोलोजिकल्स लिमिटेड के संबंध में, कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य नहीं किया।

3.6.5 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(11) तथा खंड 49(III)(डी)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तालिका 3.24 में दी गई सीपीएसईज के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

तालिका 3.24: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
2	आईटीआई लिमिटेड
3	ऑयल इंडिया लिमिटेड

3.6.6 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.25 में दिए गए सीपीएसईज के संदर्भ में ऐसा निष्पादन मूल्याकंन नहीं किया गया।

तालिका 3.25: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षको तथा आन्तरिक लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	एमएमटीसी लिमिटेड
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड
6	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.6.7 आन्तरिक लेखापरीक्षाकार्य की उपयुक्तता

3.6.7.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(13) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की सरंचना, विभाग के कार्यकारी प्रमुख की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, तो उसकी उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.26 में दी गई निम्नलिखित

सीपीएसईज के संदर्भ में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.26: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	आईटीआई लिमिटेड
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.6.7.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। यह भी पाया गया कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षको के साथ कोई चर्चा नहीं की ।

3.6.8 सीएजी के अनुपूरक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

सांविधिक अधिदेश के अनुसार सभी सीपीएसईज भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iii) अनुबंधित करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, सीपीएसईज के मामले में, सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है।

तालिका 3.27 में दिए गए सीपीएसईज के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रबंधन पत्र, सीएजी की टिप्पणियों, लेखापरीक्षा पैराग्राफ, सीएजी रिपोर्ट में प्रिंटिड प्रफार्मेन्स रिपोर्ट समीक्षाओं तथा पूरक लेखापरीक्षा करने के बाद जारी सीओपीयू की सिफारिशों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.27: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड

3.6.9 सांविधिक लेखापरीक्षको के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(16) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के भाग सी(ए)(16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षको के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। तालिका 3.28 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के सदंर्भ में, लेखापरीक्षा समितियो ने ऐसी चर्चाए नहीं की।

तालिका 3.28: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समितियों ने सांविधिक लेखापरीक्षको के साथ चर्चा नहीं की

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	चर्चा नहीं की गई
1	कोल इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
3	दी फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड	पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा
4	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा तथा पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
5	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. कॉ.लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
6	आईटीआई लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
7	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा
8	ऑयल इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा तथा पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
9	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा

3.7 अन्य समितियां

3.7.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1), सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV)(ए) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम

19(1) तथा (2) यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशको वाली एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी जिसमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए तथा कम से कम आधे स्वतंत्र होने चाहिए और समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। हालांकि, सीपीएसईज में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी जैसाकि तालिका 3.29 में विस्तृत किया गया है।

तालिका 3.29: मुआवजा समिति न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
4	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
5	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
6	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.7.2 पणधारक सहसंबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 20(1) अपेक्षा करता है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक सहसंबंध समिति का गठन करेगी। यह देखा गया कि तालिका 3.30 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संदर्भ में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई।

तालिका 3.30: पणधारक सहसंबंध समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयु यूल एंड कॉ. लि.
2	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
3	एचएमटी लिमिटेड
4	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.8 चेतावनी तंत्र

3.8.1 सूचीबद्ध करार के संशोधित खण्ड 49(II)(एफ) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 22(1) तथा (2) अनुबंधित

करते है कि कम्पनी निदेशको तथा कर्मचारियों को अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशांकित धोखाधडी अथवा कम्पनी की आचार संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के विषय में सूचना देने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना करें। यह पाया गया कि तालिका 3.31 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में, कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.31 : चेतावनी तंत्र न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	बामेर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
2.	भारत इम्मियूनोलॉजिकल एंड बॉयोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड
3.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मै. कॉ. लिमिटेड

3.8.2 सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(।।।)(डी) 18 तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची ।। के भाग सी (ए) (18) में लेखापरीक्षा समिति द्वारा 'चेतावनी तंत्र' के कार्यों की समीक्षा करने का प्रावधान है, यदि ऐसा कम्पनी में हो । नीचे तालिका 3.32 में वर्णित सीपीएसई में, यद्यपि चेतावनी तंत्र मौजूद है तथापि लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.32 : चेतावनी तंत्र वाले सीपीएसईज परन्तु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं हुई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	कोल इंडिया लिमिटेड
2	हिन्दस्तान केबल्स लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
5	एमएमटीसी लिमिटेड
6	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.9 संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा, ऐसे महत्वपूर्ण संबधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारको द्वारा समाधान के माध्यम से स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। तालिका 3.33 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संदर्भ में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई:

तालिका 3.33 : संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फ्लूओरो कार्बन्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मै. क. लिमिटेड
3	एनएमडीसी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
5	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.10 सहायक कम्पनियों से संबधित नीति

सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(V)(डी) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 46(एच) तथा अनुसूची V(सी)(10)(ई) उल्लिखित करता है कि कम्पनी महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों का निर्धारण करने के लिए एक नीति का निर्माण करेगी तथा ऐसी नीति वार्षिक रिपोर्ट में तथा वार्षिक रिपोर्ट में वेब-लिंक के साथ वेबसाइट पर तथा स्टॉक एक्सचेंज को प्रदर्शित करेगी। तालिका 3.34 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संदर्भ में ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया।

तालिका 3.34 : सहायक कम्पनियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2	एचएमटी लिमिटेड
3	एमएमटीसी लिमिटेड

3.11 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन

3.11.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(ए) तथा (एफ) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को अपनी वेबसाइट पर (i) अपने व्यवसाय के विवरण, (ii) गैर-कार्यकारी निदेशको को भुगतान करने के मानदण्डो पर सूचना प्रकट करनी होगी, बशर्ते कि इसे वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मेन्यूफे. कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में, बिन्दु (i) से संबंधित सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया तथा बिन्दु (ii) से संबंधित सूचना को न तो वेबसाइट पर न ही वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया था।

3.11.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2) (सी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों के संयोजन को प्रस्तुत करेगी। तालिका 3.35 ऐसी सीपीएसईज की सूची तैयार करती है जहां वेबसाइट में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

तालिका 3.35: वेबसाइट पर समितियों के संदर्भ में सूचना का प्रकटन न होना

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूले एंड कॉ. लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बॉयोलॉजिकल्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
4	आईटीआई लिमिटेड
5	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
6	मैगंलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

3.12 अनुपालन रिपोर्ट

3.12.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II के भाग बी में प्रावधान है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी को विनियमावली के भाग बी में निर्दिष्ट अनुसार निदेशक बोर्ड को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यह पाया गया कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के मामले में अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.12.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27(2)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनो के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनात्मक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनो के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह पाया गया कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने दोनो ही तिमाही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की।

3.13 निष्कर्ष

चयनित 48 सीपीएसईज में से 13 सीपीएसईज में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था, 18 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशको की रिक्तियों को भरने में तीन माह से अधिक का विलम्ब पाया गया, नौ सीपीएसईज में बोर्ड में कार्यकारी निदेशको की रिक्तियां भरने में छः माह से अधिक का विलम्ब पाया गया, पांच सीपीएसईज में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी,तीन सीपीएसईज में कोई चेतावनी तंत्र स्थापित नहीं किया गया, छः सीपीएसईज में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई गई।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अनुसार (जनवरी 2017) सीपीएसई से संबंधित नियमों, अधिनियम, गाईडलाइंस आदि कि जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की है, इसके अतिरिक्त अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी मंत्रालय/ विभाग पर है।

3.14 सिफारिश

भारत सरकार, दिशा-निर्देशो तथा विनियमो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनात्मक मंत्रालयो/विभागो पर जोर दे सकती है ताकि सूचीबद्ध सीपीएसईज में निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।